Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 116/2023

Muzaffar Hussain ..... Appellant.

Versus

Babita Devi ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	07.12.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा BLDR वाद सं0–22/2023–24 में दिनांक–23.05.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बहादुरगंज, थाना सं0–359, खाता सं0–62, खेसरा सं0–497/711, रकवा–0.5 कड़ी और खाता सं0–75, खेसरा सं0–495, रकवा–8.05 कड़ी में से 05 कड़ी कुल 01 डी0 विवादित भूमि है। उत्तरवादी समाज के धनी व्यक्ति हैं। निम्न न्यायालय में उत्तरवादी द्वारा वाद दायर किया गया था जिसमें अपीलार्थियों द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि इनके द्वारा सब जज, किशनगंज के समक्ष प्रश्नगत भूमि एवं पक्षकारों से संबंधित Title Suit No.- 33/2013 एवं विविध वाद सं0–03/2018 दायर किया गया है जो लंबित है। दिनांक–21.01.2021 द्वारा उत्तरवादी बबीता देवी को पक्षकार बनाया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा मामले पर मनमाने ढ़ंग से विचार करते हुए इनके विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया, जो सही नहीं है, जबकि मामला पूर्व से हीं सक्षम व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन लंबित है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। जब सक्षम व्यवहार न्यायालय में Title Suit No.- 33/2013 लंबित है तो निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पोषणीय नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत मामले में स्वत्व का संशलिष्ट प्रश्न जुड़ा हुआ है, जिसके विचारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में मामला लंबित है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। विवादित भूमि मूलतः भागवत झा की खतियानी भूमि है। जिसमें चंद्रावती देवी पति–अशर्फी लाल तिवारी	

Web Copy, Not Official.

		शिकमीदार के रूप में दर्ज है। चंद्रावती द्वारा दिनांक–24.02.1969 को प्रश्नगत खाता सं0–75, खेसरा सं0–495 से 01 डी0 एवं खाता सं0–62, खेसरा सं0–497/711 से 01 डी0 कुल–02 डी0 भूमि शाहिद हुसैन एवं माजिद हुसैन क्रमशः	
	लगातार 07.12.2023	को बिक्री की गई। वर्ष 1984 में भागवत झा द्वारा भी 0.2 डी0 भूमि उक्त दोनों व्यक्ति के पास बिक्री की गई। माजिद हुसैन एवं शाहिद हुसैन अपने जीवनकाल में आधी–आधी भूमि बँटवारा कर दखलकार हुए। जिसमें माजिद हुसैन पूरब से तथा शाहिद हुसैन पश्चिम से 1–1 डी0 प्राप्त किये। माजिद हुसैन के वारिशान द्वारा उक्त दोनों खाता खेसरा से 01 डी0 भूमि वर्ष 2015 में उत्तरवादी के पास पूरब तरफ से बिक्री की गई जिसपर ये क्रय पश्चात् दखलकार होते हुए भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। दूसरी तरफ शाहिद हुसैन की दो पत्नियाँ थी जिसमें अपीलार्थीगण प्रथम पत्नी के संतान हैं। दूसरी पत्नी तराना बेगम को एक पुत्र एवं दो पुत्री हुई जिनके द्वारा वर्ष 2021 में 417 कड़ी इस्तेशाम फिरोज को बिक्री की गई। शेष 583 कड़ी उनके हिस्से में बची। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर गलत दावा किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा टाईटिल सूट दायर किये जाने की बात कहना गलत है। अपीलार्थी का दावा निराधार है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि उभय पक्षों द्वारा विवादित भूमि क्रय किये जाने के आधार पर दावा किया जा रहा है। उत्तरवादी द्वारा निम्न न्यायालय में अपने क्रय की गई भूमि पर दखल प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया गया था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट तथ्य रखा गया कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित Title Suit No.- 33/2013 एवं Misc. Case No.- 03/2018 अवर न्यायाधीश, किशनगंज के समक्ष इन्हीं पक्षकारों के बीच विचाराधीन लंबित है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत विवाद में स्वत्व का संशलिष्ट प्रश्न (Complex Question of Title) सन्निहित है जिसका विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसे विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। पक्षकार यदि चाहें तो प्रस्तुत मामले के विचारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy. Not Official.

		आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

Web Copy. Not Official.